न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 65/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती गटुडी पत्नी स्व. मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी नेणास तहसील डेगाना जिला नागौर।		1भंवरलाल पुत्र ओगडराम जाति मेघवाल निवासी खुडीकलां तहसील डेगाना जिला नागौर। 2शंकरलाल पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी नेणास तहसील डेगाना जिला नागौर। 3मन्नीराम पुत्र जयराम जाति मेघवाल निवासी नेणास तहसील डेगाना जिला नागौर। 4उप तहसीलदार सांजू, तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री जोराराम मेहरा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रूघाराम जोगपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.08.18

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा ग्राम नेणास के नामान्तरकरण सं. 47 निर्णय दिनांक 09.04.92 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.06.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.07.2017 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भंवरलाल को रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र से सम्मन भिजवाया गया, मगर वो अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 शंकरलाल व रेस्पोडेन्ट सं. 3 मन्नीराम की ओर से श्री रूघाराम जोगपाल, रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 47 दिनांक 09.04.92 की फोटोप्रति तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने मांगीलाल बहक भंवरलाल के पक्ष में बेचान दिनांक 05.02.92 की फोटोप्रति, गणपत व गटूडी बहक भंवरलाल के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री दिनांक 15.06.06 की फोटोप्रति तथा गटूडी बहक पटूडी के हक में बेचान पंजीयन दिनांक 08.12.14 की फोटोप्रति पेश की है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस शुरू करते हुए बताया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ विधवा अनुसूचित जाति की गरीब महिला है। जो राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी नही रखती है। उसे कथित म्यूटेशन की जानकारी नही रही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विश्वासघात करते हुए फर्जी विक्रय पत्र तैयार करवा कर उक्त फ़र्जी बेचाननामा के आधार पर चुपके – चुपके अपना नाम जरिये विवादित नामान्तरकरण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के बाद उक्त अविभाजित जमीन में से 5 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मनीराम को बेचान करना हाल ही बताया गया व मनीराम व उसका सहयोगी स्वर्ण जाति के गिरधारीसिंह पुत्र बल्बसिंह राजपूत निवासी नेणास जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जबकि विधिनुसार अनुसूचित जाति के खातेदार की जमीन पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा नही हो सकता है, उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व उसके सहयोगी गिरधारीसिंह जबरन कब्जा करने का प्रयास किया व भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से खरीदने का कथन किया व कहा कि तुम्हार इस जमीन में कोई अधिकार नही है। जमीन रेस्पोडेन्ट भंवरलाल के नाम से है। तब अपीलांट को आश्चर्य हुआ व राजस्व रेकर्ड के जांच पडताल की व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति दिनांक 06.02.17 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपील की कानूनी सलाह प्राप्त होने पर अपील हेतु रूपयों पैसों की व्यवस्था कर नागौर आकर अधिकवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवा कर अपील पेश की गई। जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए बताया गया कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील की नकल दिनांक 06.02.17 को प्राप्त की गई, जिसके करीब 5 माह बाद दिनांक 27.06.17 को अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। जिसके विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नही है। दिनांक 08.012.14 को अपीलांट गटूडी देवी ने इसी सामलाती भूमि के खसरा नं. 73 का 1/2 हिस्सा पटूडी देवी को जरिये बेचाननामा विक्रय किया। तब अपीलांट द्वारा नकल जमाबंदी ली गई थी। उस समय अपीलांट को तथाकथित बेचान की जानकारी होते हुए भी दो–तीन साल पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा पक्षकारों के बीच मेडतारोड पुलिस थाने में आराजी को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ। जिस समय भी रिकार्ड की जानकारी अपीलांट को होते हुए भी अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत नही करने से मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। मियाद के लिये असाधारण विलंब को माफ नही किया जा सकता है तथा न ही कोई संतोषप्रद/पर्याप्त कारण ही बताये गये है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2004 (2) पेज 1219 व आआरडी 2002 पेज 26 से 30 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम नेणास में स्थित भूमि खसरा नं. 63 रकबा 32.16 बीघा में से खातेदार मांगीलाल का हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 भंवरलाल के पक्ष में विक्रयनामा के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 47 दिनांक 09.04.1992 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 27.06.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 26 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट गत 26 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रही हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है तथा वर्ष 2014 में अपीलांट ने इसी सामलाती भूमि के खसरा नं. 73 का 1/2 हिस्सा पटुडी देवी को विक्रय किया। तभी उसे जानकारी हुई है तथा नामान्तरकरण जैर अपील की नकल दिनांक 06.02.17 को प्राप्त कर करीब 5 माह बाद दिनांक 27.06.2017 को यह अपील प्रस्तुत की गई है तो अब उसका यह कथन कि उसे आदेश जैर अपील की पूर्व में जानकारी नही हो, जो विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने के फलस्वरूप खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/18

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर